मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी. भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्रमांक– 1661/मप्रविनिआ/2019 – मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 9 के खण्ड (ञ) के साथ पठित विद्युत् अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 50 तथा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में द्वितीय संशोधन

{एआरजी–(I)(ii), वर्ष 2019}

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

1.1 यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता 2013 (द्वितीय संशोधन) {क्रमांक एआरजी–(I)(ii), वर्ष 2019}" कहलायेगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी।

1.3 इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में होगा।

2. उक्त संहिता में, खण्ड 4.12 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"4.12 यदि उपभोक्ता का, उसके नाम से या किसी ऐसी फर्म या कंपनी के नाम से जिसके साथ वह या तो भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक या अधिभोगी और/अथवा परिसर के स्वामी के रूप में सहबद्ध है, विद्युत् शोध्य या अन्य शोध्य, उस परिसर के लिए, जहां नवीन संयोजन के लिए आवेदन किया गया है बकाया है और ऐसे शोध्य अनुज्ञप्तिधारी को देय हैं, तो प्रदाय की मांग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक शोध्य का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है । नवीन संपत्ति का अधिभोग रखने वाले व्यक्ति की दशा में उस व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह पिछले महीनों के लिए देयकों अथवा विच्छेदित प्रदाय की दशा में, उसके अधिभोग के ठीक पहले अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों के अनुसार शोध्य रकम की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि देयक में यथाविनिर्दिष्ट सभी बकाया विद्युत् शोध्यों का सम्यक् रूप से भुगतान एवं अदायगी

कर दी गई है । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर उस संयोजन से बकाया रकम का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य होगा, जो ऐसे परिसर में स्थापित था या स्थापित है । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर में शोध्य वाले पूर्व से विद्यमान संयोजन के माध्यम से विद्युत् प्रदाय से इंकार कर सकेगा या ऐसे परिसर को तब तक नवीन संयोजन प्रदान करने से इंकार कर सकेगा जब तक कि ऐसे बकाया शोध्य का अनुज्ञप्तिधारी को पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता :

परन्तु निम्नलिखित मामलों में ऐसे परिसरों में नवीन संयोजन जारी करने से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इंकार नहीं किया जाएगा :

(एक) किसी कर्मचारी के स्थानांतरण पर शासकीय आवास/फ्लैट खाली किए जाने पर विद्युत् प्रभारों के बकाया छोड़े जाने पर नवीन अधिभोगी से भूतपूर्व उपभोक्ता के विद्युत् शोध्यों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(दो) यदि परिसर पर विद्यमान बकाया की वसूली नहीं करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई विनिर्दिष्ट आदेश है ।

Bhopal dated:25th November, 2019

No. 1661 /MPERC/2019 In exercise of the powers conferred under clause (j) of Section 9 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam 2000 (No. 4 of 2001) read with Section 50 and Section 56 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, namely:-

Second Amendment to Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013. (ARG-(I)(ii) of 2019)

1. Short Title and Commencement:

1.1 This Code shall be called Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 (Second Amendment) (ARG(I)(ii) of 2019)."

1.2 It shall extend to the whole of the State Madhya Pradesh.

1.3 It shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2. In the said Code, for clause 4.12, the following clause shall be substituted, namely:-